

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प: जहलार

-:आदेश:- 185/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अमरलाल व मूअनि बालोचरा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उ. खालला तहसील पुष्कर व जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 3 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>अमरलाल</u> <u>खालला</u>	<u>3</u>	<u>चन्द्र</u>	<u>चन्द्राराम</u>

(बालोचरा)
(भा.पि.वि.सि.म.अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी लोकलोक अदालत कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोचरा कैम्प.....
पदेन सहा.कलेक्टर,

दिनांक :-

क्रमांक :- 577-578

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
पीठासीन अधिकारी लोकलोक अदालत कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोचरा कैम्प.....